

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही**  
**(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)**

पंचायत निगरानी संख्या: 23/2019

**प्रार्थी**

महिपालसिंह पुत्र मंगलदान जी, जाति-चारण, निवासी- वराडा, तह. व जिला- सिरौही  
**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. कुन्दनमल पुत्र छोगमलजी भंडारी, जाति-जैन, निवासी-वराडा, तह व जिला- सिरौही  
2. ग्राम पंचायत, वराडा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, वराडा, तह. व जिला- सिरौही

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

**उपस्थिति:**

- (1) अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थी की ओर से  
(2) अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से

-: निर्णय :-

**दिनांक 08 फरवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी कुन्दनमल पुत्र श्री छोगमल भंडारी, जाति-जैन, निवासी- वराडा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 240 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 27.9.2013 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, वराडा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गईं। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (कुन्दनमल) की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-1 (कुन्दनमल) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि पट्टा संख्या 36 से संबंधित विवादित भूखण्ड ग्राम वराडा में आया हुआ है। ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी कुन्दनमल को पट्टा संख्या 36 दिनांक 27.9.2013 को पुराने घर के कब्जे के आधार पर आवासीय मानते हुए जारी किया है, जबकि विवादित स्थल पर अप्रार्थी संख्या- 1 का कभी भी आवासीय मकान या भवन नहीं रहा है एवं न ही अप्रार्थी कुन्दनमल उक्त स्थान पर निवास करता है बल्कि उक्त विवादित, स्थल पर एक दुकान बनी हुई है जिसका निर्माण प्रार्थी ने करीब पच्चीस वर्ष पूर्व करवाया था तब से उक्त दुकान प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व में है। उक्त दुकान निर्माण करवाने के पश्चात् प्रार्थी ने मारुति मेडिकल स्टोर के नाम से दवाईयों की दुकान संचालित करता है। यह कि पट्टा संख्या 36 वाला भूखण्ड मय दुकान सहित कुल 240 वर्ग फीट भूमि प्रार्थी के मालकी, स्वामित्व एवं कब्जे की है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी कुन्दनमल का कभी भी कब्जा स्वामित्व एवं निवास नहीं रहा है। उक्त सम्पूर्ण जानकारी ग्राम पंचायत, वराडा को होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत, वराडा ने मेल मिलाप कर नियम विरुद्ध वाणिज्यिक परिसर का अप्रार्थी कुन्दनमल के पक्ष में आवासीय पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया है, जबकि उक्त भू




पेज दो पर

**अति. जिला कलेक्टर**  
**सिरौही (राज.)**



पच्चीस वर्षों से निरन्तर व निर्वाध रूप से अप्रार्थीगण व आमजन की जानकारी में काबिज हैं। पट्टा संख्या 36 वाला भूखण्ड प्रार्थी के मालकी स्वामित्व एवं कब्जे का है, फिर भी ग्राम पंचायत, वराड़ा ने अप्रार्थी कुन्दनमल के नाम प्रार्थी के मालकी स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि का पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी अप्रार्थी कुन्दनमल ने अप्रार्थी ग्राम पंचायत, वराड़ा से मेल मिलाप कर अपने नाम पट्टा जारी करवाया है जो कानूनन गलत है। पट्टा संख्या 36 वाले भूखण्ड पर अप्रार्थी कुन्दनमल का कभी कब्जा या निवास नहीं रहा है और प्रार्थी के वैध स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि को हड़पने की बदनियती से गलत तथ्य बताते हुए पट्टा संख्या 36 प्राप्त किया है और अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी मौके व रेकर्ड का भौतिक सत्यापन किये बिना विधि व नियमों को ताक में रखकर विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना अप्रार्थी कुन्दनमल के नाम पट्टा संख्या 36 जारी किया है। उक्त जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर महोदय, सिरौही को प्रेषित किया था जिस पर जिला परिषद, सिरौही ने उक्त प्रार्थना पत्र पर जांच करने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति, सिरौही को लिखा जिस पर विकास अधिकारी ने पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति, सिरौही को विवादित पट्टा संख्या 36 की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया था। पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में सम्पूर्ण जांच करने के बाद यह निष्कर्ष दिया कि कुन्दनमल पुत्र छोगमल भंडारी गांव वराड़ा के नाम जारी पट्टा संख्या 36 जारी दिनांक 27.09.2013 पटवार हल्का वराड़ा की लिखित रिपोर्ट अनुसार आबादी भूमि किस्म में न होकर गैर मुमकिन अस्पताल भूमि में स्थित है जो कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज योग्य है मौके पर वर्तमान में दुकान भवन स्थित है, ना कि पुश्तैनी आवास एवं दुकान भवन में मेडिकल स्टोर संचालित है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, वराड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 36 निरस्त योग्य होने से प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वराड़ा द्वारा अप्रार्थी कुन्दनमल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 27.9.2013 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (कुन्दनमल) के अधिवक्ता श्री मरडिया ने बहस के दौरान अप्रार्थी कुन्दनमल के जवाब में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त 1990 RRD 347, 1982 RLW 371, 1983 RLW 268, 1984 RRD 692 Para 10, 1997 DNJ(Raj.) 751 & 1997 SAR 783 (SC) में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 36 की भूमि का अप्रार्थी कुन्दनमल खातेदार व स्वामी है। पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि अनुसार है तथापि उक्त पट्टा जारी करने की आवश्यकता ही नहीं थी। राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत आबादी भूमि का पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है। नियम 157 के तहत पुराने गृह के विनियमितिकरण का प्रावधान है। उक्त नियमों के तहत गृह की परिभाषा को उल्लेखित नहीं किया गया है और ना ही आबादी भूमि को। आबादी भूमि में आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि दोनों का ही समावेश हो जाता है। अप्रार्थी कुन्दनमल व उसके पिता द्वारा ग्राम वराड़ा में उनके खातेदारी भूमि खसरा संख्या 560, 561 562 व 567 को परमार्थ प्रयोजन हेतु उपयोग लिया गया और खसरा संख्या 562 जिसका पुराना नम्बर पूर्व में 511 था, की करीब 3 बीघा भूमि में सन् 79 में अस्पताल का निर्माण करवाया। उक्त अस्पताल परिसर मय खुली भूमि राज्य सरकार को दान किया गया था। जिसका दान प्रलेख दिनांक 27.02.1980 को पंजीकृत किया गया। उक्त दान प्रलेख में दान की गई भूमि का नाप स्पष्ट अंकित है तथा दान प्रलेख के साथ अस्पताल भवन व परिसर का मानचित्र भी पंजीकृत किया गया था। अस्पताल हेतु भूमि दान करते समय पूर्व दिशा में दक्षिणी किनारे पर पानी की प्याऊ एवं दवाई की दुकान हेतु भूमि पृथक कर दी गई थी। उक्त तथ्य मानचित्र से तथा दान प्रलेख में अंकित नाप से स्पष्ट है। अस्पताल प्रयोजन हेतु दी गई खसरा संख्या 511 की शेष 5 बीघा 5


....पेज तीन पर

  
अति. जिला कलेक्टर  
सिरौही (राज.)



बिस्वा भूमि का भी बाद में आबादी भूमि में रूपांतरण करवा दिया गया था। विवादित दुकान तथा पानी की प्याऊ इसी खसरा संख्या 511 की भूमि में बनी हुई है। विवादित स्थल पर पानी की प्याऊ तथा दुकान का निर्माण सन् 79 में अस्पताल के निर्माण के साथ-साथ किया गया था। प्रार्थी तत्समय इस योग्य व उम्र का ही नहीं था कि वह उक्त दुकान का निर्माण करवाता। प्रार्थी ग्राम गंगावा, तहसील आहोर, जिला जालौर का निवासी है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.12.2001 को दवाई के व्यवसाय हेतु उक्त दुकान किराए पर ली गई थी। उसके पूर्व उक्त दुकान पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी द्वारा दुकान किराए लिए जाने के पूर्व भी उक्त दुकान समय-समय पर किराए पर दी जाती रही है। पूर्व में श्री भारत भूषण द्वारा दवाई की दुकान संचालित की जा रही थी। उसके पूर्व भी उक्त दुकान में समरधाराम रावल, मगाजी माली, जेठा पुत्र बाबाजी पुरोहित ने चाय की होटल चलाई है। अप्रार्थी कुन्दनमल ने श्री वरिष्ठ सिविल जज, सिरोही के न्यायालय में प्रार्थी के विरुद्ध बेदखली व वसूली हर्जाना हेतु वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो संख्या 05/20015 पर संस्थित हो कर लम्बित है। उक्त संपत्ति खाली ना करने की बदनियत से व अप्रार्थी कुन्दनमल की संपत्ति हड़पने हेतु प्रार्थी ने झूठे वह बनावटी कथन किए हैं। प्रश्नगत पट्टा संख्या 36 की संपत्ति में कोई भूखंड नहीं है। उक्त पट्टा दुकान एवं पानी की प्याऊ का बनाया गया है। उक्त पट्टे वाली भूमि अप्रार्थी कुन्दनमल के खातेदारी की खसरा संख्या 511 वर्तमान में 562 की भूमि है। उक्त भूमि में प्रार्थी का कभी मालिकाना हक स्वामित्व एवं कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी द्वारा दुकान किराए पर लिए जाने के पूर्व प्रार्थी का उक्त दुकान में कब्जा ही नहीं था। प्रार्थी ने उक्त दुकान दवाई के व्यवसाय हेतु अप्रार्थी कुन्दनमल के पिता से किराए पर ली थी। जिसका किरायानामा प्रार्थी द्वारा निष्पादित किया गया था तथा दुकान के लाइसेंस हेतु की गई प्रक्रिया में उक्त किरायानामा संबंधित ड्रग एवं कॉस्मीटिक नियमों के तहत औषध विभाग में पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा उसके बाद पुनः दिनांक 23.12.2013 को अप्रार्थी कुन्दनमल के पक्ष में किरायानामा निष्पादित किया गया है। अप्रार्थी कुन्दनमल को ग्राम पंचायत से अपने ही स्वामित्व की भूमि का पट्टा लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। अप्रार्थीगण की गलत अधुरी विधिक जानकारी के कारण उक्त पट्टा जारी हुआ। तथापि पट्टा नियमानुसार है एवं उसे जारी करने में कोई खिलाफ वर्जी नियमों की नहीं हुई है। पट्टा जारी करने हेतु आवेदन दिनांक 09.01.1999 को किया गया था एवं पत्रावली तब से ही लम्बित थी। आवेदन प्राप्ति की रसीद संख्या 87 ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई है। पट्टा संख्या 36 वाला भूखंड कभी भी प्रार्थी के मालकी, स्वामित्व एवं कब्जे का नहीं रहा है और ना है। उक्त भूमि खसरा संख्या 511 अब 562 की कृषि भूमि का हिस्सा है, जिसका आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण अप्रार्थी कुन्दनमल व उसके पिता द्वारा करवाया गया। यह गौर योग्य है कि स्वयं प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.01.2019 को श्री जिला कलेक्टर सिरोही को दिए गए आवेदन में उक्त संपत्ति सरकारी अस्पताल की संपत्ति होना बताते तथा नियम विरुद्ध तरीके से ओरण भूमि में जारी होना कथन करते पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया गया है। उक्त आवेदन में प्रार्थी स्वयं की संस्वीकृति से व उस पर पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से प्रश्नगत संपत्ति प्रार्थी के स्वामित्व की ना होना निर्विवाद रूप से साबित है। प्रार्थी ने उक्त दुकान का किरायानामा भी निष्पादित करवाया है और उस आधार पर दवाई की दुकान का अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया है। प्रार्थी का कृत्य ही दुकान प्रार्थी की ना होना स्पष्ट साबित करता है। पट्टा संख्या 36 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की थी व रूपांतरण के बाद अप्रार्थी के स्वामित्व की है। विद्युत सम्बन्ध अप्रार्थी के पिता के नाम का उक्त दुकान में है। उक्त भूमि का पट्टा यद्यपि जारी करने की आवश्यकता नहीं थी तथापि जारी किया गया पट्टा पूर्णतः वैध व प्रभावी है। अप्रार्थी कुन्दनमल के राज्य के बाहर निवास करने का लाभ लेकर प्रार्थी दुराशयपूर्वक सम्पत्ति हड़पने को तत्पर है।

....पेज चार पर


  
 अति. जिला कलेक्टर  
 सिरोही (राज.)



प्रार्थी को उक्त पट्टा निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत बने नियमों आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का प्रावधान है और आबादी भूमि में सभी तरह की भूमि शामिल है। नियमों में उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं किया गया है। पट्टा विधि अनुसार एवं वैध व प्रभावी है। नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत का था। अप्रार्थी की जानकारी में ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गयी है एवं उसमें कोई अनियमितता नहीं है। यह कि सामान्य अवधि अधिनियम के तहत निगरानी हेतु 90 दिन की अवधि निश्चित है अतः अन्यथा भी निगरानी म्याद बाहर है। विधि में हर अनुतोष हेतु अवधि नियत है। प्रार्थी की निगरानी न तो अवधि मध्य है और न निगरानी पोषणीय ही है। निगरानी हेतु जहां अवधि का प्रावधान नहीं है, वहां निगरानी यथोचित समय के भीतर किया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय 1997 SAR 783 में व उच्च न्यायालय ने 1997 DNJ 438 में अभिनिर्धारित किया है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 166 के तहत आबादी भूमि विक्रय करने के पंचायत के मूल आदेश की अपील अधिनियम की धारा 61 के तहत किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिन मामलों में अपीलें प्रावधानित है, उन मामलों में निगरानी के जरिये हस्तक्षेप करना अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैध होना विनिश्चित किया है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अपरिपोषणीय और खारीजगी काबिल है। यह कि प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में स्पष्ट नहीं किया है कि किस नियम के किस प्रावधान की पालना नहीं की गयी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व संदिग्ध है और विधि में परिपोषणीय नहीं है। अनियमितता के संबंध में पूर्ण विवरण न होने से अप्रार्थी विस्तृत उत्तर देने में असमर्थ है। नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत का था। रूपांतरित भूमि का पट्टा प्राप्त करने की अप्रार्थी को आवश्यकता ही नहीं थी। तथापि अप्रार्थी की जानकारी में ग्राम पंचायत, वराड़ा द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गयी है एवं उसमें कोई अनियमितता नहीं है। यह कि विवादित भूमि अप्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 511 नया नम्बर 562 का भाग है। अप्रार्थी व उसके पिता द्वारा सन् 1979 में अस्पताल का निर्माण करवा कर भूमि राज्य सरकार को दान की गई थी और उस समय ही मरीजों व उनके सहायकों के लिए आश्रय कमरा, दवाई की दुकान हेतु कमरा व एक प्याऊ का निर्माण करवाया गया था। भूमि का दान करते समय दुकान व प्याऊ की भूमि को अलग कर दिया है। सम्पूर्ण नाप दान विलेख में अंकित है। अप्रार्थी ने हजारों रुपया खर्च कर परमार्थ हेतु उक्त दुकान व प्याऊ बनवाई है। प्रार्थी गोगांवा गांव का निवासी है व किराएदार मात्र था। उक्त भूमि रूपांतरित भूमि होने से पट्टा लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी यदि अप्रार्थी के पट्टे को वैध होते हुए भी निरस्त कर दिया जाता है तो अप्रार्थी को क्षति होगी। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वराड़ा द्वारा पंचायत संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.2.2013 के अनुसरण में अप्रार्थी कुन्दनमल पुत्र श्री छोगमल भंडारी, जाति- जैन, निवासी- वराड़ा के पक्ष में क्षेत्रफल 240 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 36 दिनांक 27.9.2013 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार का मुख्यतः कथन यह है कि 'ग्राम पंचायत, वराड़ा द्वारा अप्रार्थी कुन्दनमल को पट्टा संख्या 36 दिनांक 27.9.2013 को पुराने घर के कब्जे के आधार पर आवासीय मानते हुए जारी किया है, जबकि विवादित स्थल पर अप्रार्थी संख्या- 1 का कभी भी आवासीय मकान या भवन नहीं रहा है एवं न ही अप्रार्थी कुन्दनमल उक्त स्थान पर निवास करता है बल्कि उक्त विवादित, स्थल पर एक दुकान बनी हुई है जिसका

.....पेज पांच पर

  
अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)



निर्माण प्रार्थी ने करीब पच्चीस वर्ष पूर्व करवाया था तब से उक्त दुकान प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व में है। उक्त दुकान निर्माण करवाने के पश्चात् प्रार्थी ने मारुति मेडिकल स्टोर के नाम से दवाईयों की दुकान संचालित करता है।" लेकिन प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, वराड़ा द्वारा अप्रार्थी कुन्दनमल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 27.9.2013 की भूमि प्रार्थी निगरानी के पुराने कब्जे एवं मालिकाना हक स्वामित्व की हो।

प्रकरण में अप्रार्थी कुन्दनमल की ओर से प्रस्तुत पंजीकृत दस्तावेज संख्या 166/80 दिनांक 19.3.1980 की छाया प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शा प्रताप एण्ड नोपजी चेरिटेबल ट्रस्ट, कुरनूल द्वारा ग्राम वराड़ा, तहसील सिरौही, जिला-सिरौही के खसरा संख्या 510, 511, 513 (पुराने खसरा नंबर) भूमि में अस्पताल निर्माण करवाकर राज्य सरकार को दिनांक 27.2.1980 को दान की गई थी। अप्रार्थी कुन्दनमल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज तहसीलदार, सिरौही के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/कोर्ट/भूरू./92/296-300 दिनांक 22.5.1992 से श्री छोगमल पुत्र प्रतापचन्द जी जैन, निवासी- वराड़ा के पक्ष में उनके खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 505 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 507 रकबा 4.00 बीघा व खसरा संख्या 511 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा 08 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है। अप्रार्थी कुन्दनमल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज पटवारी हल्का, वराड़ा के प्रमाण पत्र दिनांक 28.11.2019 की छाया प्रति के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मारुति मेडिकल स्टोर खसरा नम्बर (वर्तमान) 562 में स्थित है, जो पुराने खसरा संख्या 511 का ही हिस्सा है। खसरा संख्या 562 के दक्षिण में 563 स्थित है जो आबादी है, जिसमें कुन्दनमल वगैरह दर्ज है। अप्रार्थी कुन्दनमल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज किरायानामा की मुख्य प्रतिलिपिक, जिला एवं सेशन न्यायालय, सिरौही द्वारा जारी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के अनुसार छोगमल पुत्र प्रतापचन्द जी भण्डारी, निवासी- वराड़ा द्वारा महीपालसिंह पुत्र मंगलदान जी, जाति-चारण, निवासी-गंगावास, तहसील व जिला- जालोर को ग्राम वराड़ा के अस्पताल के पास स्थित दुकान को दिनांक 25.12.2001 को श्री मारुति मेडीकल स्टोर के लिये किराये पर दी थी। इस प्रकार, उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 36 दिनांक 27.9.2013 से संबंधित सम्पत्ति प्रार्थी निगरानीकार के कब्जे स्वामित्व की नहीं है। चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों का साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन सारहीन होने व साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08 फरवरी, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. भास्कर बिश्नोई)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सिरोही